पुष्ठ क.....

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. 25.3. 311. 10.41. 16

विषय: - - 41. 99(0 9. 19774/15 - 51. 19019 9mic 214-1 भामनीय उत्प न्यायालय प्राणलय से प्राप्त 4>13, 1069/16 130 18/2/16 31 9441 3/9m)39 3241 -416 1 10 ch 5101 -41. 4000 3- 19774/15 Sto विनोद युगार 214 के प्रवाण में '211निंग- तिलान 91 मेजी गार्ड हैं। 4500 में उनो सार्ड ली. जनाये जाने जिला निर्धा अवन गणा नाही प्राचार्त किंगरीला । लीड का की aton as o De anish wi राकाल समुप्रिक कंटान करी/ व 16/02/16 (माडुक्) विरुवान्तार जो आई. पी. ननाये जाने हेर्द्र त्थर्ट अगिया हिन्ताकतारी अनुता । ODC Shaw, at the with of said and the 201300 SAN AD ON GIL 16/02/

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. . 253 216- 6

Tava: - 041. 4500 5. 19774/15 - 510 Adily go 214 1 यूर्व १० से आधुक्त मरोरम के रिक्टिममुखा? क्षेत्रमेरिक 0 D C Ad की व्यवादा? 212)1िश रक्ताल प्राण्यां ह्यालयार्थ प्रमुता sle माडुरड (23/2 क्रिक्रीयत सम्पू प्रविधी प्र कर्ना नार्ट / E 5114 26/02/16 29/02/16 21,4140TTC 29-216

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. . रे. डि. रे. ने अगार / 16 विषय:- 041. Youn 3: 19774/15 - 510 190/5 go 214 1 341821 anis 414-415 8121 49200 H 43410 31िन । विषय विषय विषय । अ। न्युडा है। व्यवा नाहे। 000 cle such, A - 7/12401 es 1501 Corfer (921105 A 2500 02-91 -one 1 st 05/03/16 सविद/अधुक्त म.प्र. खातान, एकः। रहवा विभाव

मानून - 1225 - आउशिभो - 3-8-15-50,000.

पृष्ठक.......

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. 253 2 मार्गंड / नार्गि।

Tava: - - 410 4340 3 · 19774 / 15 - 510 Portice go 214)

20

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR



Process Id: 1069/2016

WP/19774/2015

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur पंजीकृत आवकः 1646

for admission
Fixed for 18-02-2016
WP-DA-13
Respondent No. 2

To,

Commissioner Higher Education Department, M.p. Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 05-01-2016

5H090

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 19774/ 2015

Sir/Madam.

I am directed to inform you that one **Dr. Vinod Kumar Rai** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/19774/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 18-02-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition

Your faithfully

B

DEPUTY REGISTRAR

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय

कमाक पाप 1253 शापडीप -/16 शोपाल, 17627-2-/6 सिविल प्रक्रिया सिहता 1990 (1908 का अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-1 तथा -1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए -41 क्षित्रीप आनि व नियमि

श्रीपा (नेभाग श्रीपा को पाचिका कमांक 19774 / 15 - 51

(पक्षकारों के नाम) 51. 19 नोद यु॰ 214

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके और ते प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनाक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप सजात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि नव्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिवत वह अपनी नियुक्ति तुरन्त परचात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरें नीचे दिये गये हैं.

ामारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसा जान करेगा जेसा की, आवश्यकता हो, और याधिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का परा अनुसार उत्तर देते हुए एसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपीर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विभिर्टिस्ट किया जायेगा ।

- 2/ समस्त सुसंगत फाइलें, दल्तावेज, नियम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- 3/ उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।
- 4/ शासकाय अधिवंबता की भेसहायता से लिखित / कथन उत्तर तैयार करवाएगा
- 5/ महत्वपूर्ण/नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित/कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगाः—
- ा | वाद / पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका
- 2/ प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप ।
- उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साह्य रवलप न्यायालय के समझ प्रस्तुत किया जाना है।
- मामले विश्वीकरण को लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी पर्णित होनी चाहिये ।
- 6/ मामले की तैयारी और संघालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना ओर मामले के प्रकम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा ।
- गं जब भी कोई आदेश/निर्ण्य, विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध शरित किया जाता हैं। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा ।
- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस दिभाग को भेजेगा ।

ः/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने ,रिपार्ट बनाने, राय प्राप्त

10/ जैसे हा उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता हैं, यह अई शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । यह वर्तमान पद भार देने के पश्चात भी तथ तक प्रभाग्नी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।

11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मद्द / महयोग करेगा तथा जुनिश्चित करेगा कि बाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तादेज अप्रकटित नहीं रह जावे ।

12 / महत्वपूर्ण , नीतिगत नामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा ।

13.2 जिन प्रकाशों में माननीय मुख्य सचिव, को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे मानलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघातिशीच आवेदन दावर कर विलोपित करवायें ।

> नध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> > सचिव

1 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शाला विनाग

मंत्रालय, भोपाल

प्रकार पार्टी ने अंद्रेश कि स्थाप / स्

भाषाल, दिनांक 27-2-16

-/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय म०प्र० जवलपुर च्रिक्टार/ग्वासिक्स सभाग माप्र की ओर । २/ प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग विध्यावल भवन भीपाल सर्वाधित जिलाध्यक्ष की पा

प्रभारा अधिकारी की और अग्रेपित साथ ही शासकाय अधिवर्णता से सम्पर्क करने और उपियात प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवर्णता से आग की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मानले में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये, मामले की मुनवाई की तारीख की जुनवाई हेंचु नियत की गई थीं / हैं।

७/ क्षेत्रीय ३ तिरिक्त संचालक. उच्च शिक्षा
क आर सचनार्थ एवं आदश्यक कायवाही हेत् ।

Clesting

मध्यप्रदेश शासन, रच्च शास विनाग

नंत्रालय, म पाल